

राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन मण्डल की भरतपुर एवं धौलपुर योजनाओं में निर्मित आवास, दुकान व व्यवसायिक भूखण्डों की मोहरबंद प्रस्तावों द्वारा भव्य नीलामी बोली

एस.टी.सी./कृष्णा नगर योजना भरतपुर की नीलामी बोली हेतु मुहरबंद प्रस्ताव कार्यालय आवासीय अभियंता 2-A-1, S.T.C. भरतपुर से दि. 27.01.2017 से 02.02.2017 अपराह्न 1:00 बजे तक प्राप्त कर 2:00 बजे खोले जावेंगे

बाड़ी रोड़ योजना धौलपुर की नीलामी बोली हेतु मुहरबंद प्रस्ताव कार्यालय परियोजना अभियंता (व०) बाड़ी रोड़, धौलपुर से दि- 25.01.2017 से 01.02.2017 अपराह्न 1:00 बजे तक प्राप्त कर 2:00 बजे खोले जावेंगे

I एस.टी.सी. योजना, भरतपुर					
क्र. सं.	निर्मित आवास/ आवासीय भूखण्ड/ निर्मित दुकान/ व्यवसायिक भूखण्ड	कॉर्नर/ सामान्य	क्षेत्रफल (व.मी.)	न्यूनतम बाली मूल्य (प्रति वर्ग मीटर)	अमानत राशि
निर्मित आवास					
1	(MIG-A) 1-M-108	सामान्य	90.00	2220000.00	झाफ्ट देय भरतपुर
2	(HIG -2) A-8 & 2-A-9 (02)	सामान्य	200.00	5460000.00	111000.00
				(प्रति आवास)	273000.00
आवासीय भूखण्ड					
3	(MIG- A) 1-M-8	सामान्य	85.75	22500/-	96500/-
B कृष्णा नगर, भरतपुर					
निर्मित दुकान					
1	Shop-5	सामान्य	24.57	2600000.00	130000.00
2	Shop-4	सामान्य	16.875	1800000.00	90000.00
C धौलपुर आवासीय योजना					
					झाफ्ट देय धौलपुर
व्यवसायिक भूखण्ड					
1	S-01	कॉर्नर	27.00	65100.00	87900.00
2	S-14	कॉर्नर	27.00	64000.00	86400.00
3	S-02, S-03, S-04, S-05, S-06** (05)	सामान्य	21.60	62000.00	67000.00
				(प्र.व.मी.)	(प्रति भूखण्ड)

(** आरक्षित - अनु. जाति)

नोट :- बिडदाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड प्रस्तुत करने हेतु, बिड आवेदन मय नीलामी बाली की भातों के विस्तृत विवरण, धौलपुर कार्यालय से दिनांक 01.02.2017 एवं भरतपुर कार्यालय से दिनांक 02.02.2017 तक अपराह्न 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में एवम् मण्डल की वेबसाइट <http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल
दूरभाष नं 05644-223672, मोबाईल 9828551606
धौलपुर दूरभाष/मोबाईल नं - 9982609491

09. निर्धारित 60 दिवस की अवधि में आवंटन पत्र की मांग राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में समस्त जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं संबंधित निविदा को स्वतः निरस्त माना जावेगा।
10. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/सभी प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित हैं। इस संबंध में कोई वाद स्वीकार्य नहीं होगा।
11. निदिष्ट योजना में उपलब्ध आवास/भूखण्ड हेतु मोहरबंद प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्ति अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जावेगे अन्यथा प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
12. आवंटन पत्र में स्वीकृत बिड मूल्य की शेष 90 प्रतिशत राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियों (लीजमनी, सेवा कर व अन्य विविध चार्जज इत्यादि) की मांग की जावेगी तथा लीज राशि आरक्षित मूल्य की व्यावसायिक भूखण्ड हेतु 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष दो किश्तों में एवं आवास हेतु भूमी की आरक्षित दर की 2.50 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष दो किश्तों में जनवरी एवं जुलाई को जमा करानी होगी।
13. आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1042/379 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
14. आरक्षित की गई आवास/भूखण्ड हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदको को प्रस्ताव के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित भूखण्ड/ आवासों के लिए इसी वर्ग के कंटा के आवेदक ही योग्य माने जावेगे एवं अन्य श्रेणी के आवेदक इन आरक्षित भूखण्डो हेतु आवेदन नहीं कर सकेगें।
16. आवास/भूखण्ड 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर निस्तारित किए जावेगें। आवास की टूट-फूट के सम्बन्ध में निविदादाता का कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
17. भूखण्ड का माप/क्षेत्रफल मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार ही अन्तिम माप होगी विज्ञप्ति में बतायी गयी माप/क्षेत्रफल में भिन्नता हो सकती है। इस बाबत निविदादाता का कोई आक्षेप स्वीकार नहीं होगा।
18. एक ही भूखण्ड/आवास के लिए पति एवं पत्नि व अवयस्क बच्चे के नामों से अलग अलग प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।
19. दुकान की छत का स्वामित्व आवंटी का रहेगा।
20. अन्य शर्तें मण्डल नियमानुसार मान्य होगी।
21. नीलामी के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं विवरण मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.com पर एवं निम्नलिखित कार्यालय में देखी जा सकती है।

दिनांक :-

उद्घोषणा

निविदादाता के हस्ताक्षर

मैं/हम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री बिडदाता
 आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान संख्या योजना का नाम
 सेक्टर घोषणा करता/करते हूँ/है कि मैंने/हमने राजस्थान आवासन
 मण्डल द्वारा उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों एवं नीलामी सम्बन्धी नियमों/विनियमों/शर्तों को भली-भांति
 पढ़ लिया गया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते है कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर की स्वीकृति की अनुशंसा
 किये जाने पर जमा की गयी 10 प्रतिशत राशि के जमा करवाने के परिणामस्वरूप मुझे/हमें नीलामी स्वीकृति का कोई
 अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी की उच्चतम दर मण्डल के स्तर से स्वीकृत नहीं कर दी जाती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

बिड प्रस्ताव

मैं/हम आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान संख्या योजना
 का नाम सेक्टर के लिए अपनी/हमारी बिड दर रू० (अंको में)
 (शब्दों में) /वर्ग मीटर/एकमुश्त दर प्रस्तुत करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

स्वयं का
हस्ताक्षरित फोटो

- 1) बिडदाता का नाम :
- 2) पिता/पति का नाम :
- 3) सामान्य/अनु. जाति/अनु. जनजाति :
(अ0जा0/ज0जा0 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) (केवल आरक्षित कोटे की स्थिति में)
- 4) पता :
..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 5) पेन नम्बर (पेनकार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 6) दूरभाष मोबाईल नम्बर
- 7) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण :-
(अ) योजना का नाम : सेक्टर :
(ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन (जो लागू ना हो उसे काट दे)
संख्या माप के लिए न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि
रूपये की डी0डी0/बैंकर चैक संख्या दिनांक
जारीकर्ता बैंक का नाम संलग्न है।

नीलामी की शर्तें

01. निविदादाता के प्रस्तुत प्रस्ताव बंद लिफाफे में स्वीकार्य होंगे।
02. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में भूखण्ड/आवास संख्या एवं प्रस्तावित बोली को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं करने अथवा कांट छांट अधिक करने पर अस्पष्टता के कारण निविदा अस्वीकार्य मानी जावेगी।
03. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में हस्ताक्षरित फोटो लगाया जाना अनिवार्य होगा इसके अभाव में निविदा अस्वीकार्य मानी जावेगी।
04. बोलीदाता को प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार निर्धारित राशियों का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर राजस्थान आवासन मण्डल भरतपुर में देय होगा। चैक स्वीकार्य नहीं होगा। → नीलामी में भाग लेने वालों को 10 करोड़ से कम बिड मूल्य की सम्पत्ति पर विड मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख रू0 जो भी कम हो जमा करानी होगी तथा 10 करोड़ रू0 एवं अधिक बिड मूल्य की सम्पत्ति पर विड मूल्य का 5 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख रू0 जो भी कम हो जमा करानी होगी
05. वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट के बिना प्रस्ताव निरस्त समझे जावेगे। चाहे उनमें प्रस्तावित कय मूल्य अधिकतम ही क्यों न हो।
06. अधिकतम मूल्य के प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को नीलामी कमेटी द्वारा दर की स्वीकृति की अनुशंसा के उपरान्त ही उच्चतम बिड मूल्य की 10 प्रतिशत राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) मौके पर 72 घण्टे में जरिये चालान के जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में अमानत राशि जब्त कर प्रस्ताव निरस्त किये जायेगें।
07. आवंटन पत्र उच्चतम बोली की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जावेगा एवं आवंटन पत्र की मांग राशि आवंटन पत्र जारी करने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी।
08. निविदादाता की पूर्व में सभी जमा राशि (अमानत राशि) पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।